मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2372

15.12.2025 को उत्तर के लिए

वन भूमि पर अतिक्रमण

2372. श्री तारिक अनवर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन भूमि पर अतिक्रमण और वनों की कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ यह समस्या अधिक गंभीर है, क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर वन क्षेत्र में कमी और इसके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) क्या सरकार वनीकरण और वन संरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए कोई विशेष प्रौद्योगिकी-आधारित तंत्र विकसित कर रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): वन संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों का उत्तरदायित्व है, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और राज्य वन अधिनियमों/नियमों के तहत अतिक्रमण और अवैध कटाई के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत, राज्य संबंधित प्राधिकरणों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करते हैं। मंत्रालय ने अतिक्रमण हटाने और निवारण के लिए परामर्शी जारी की है। राज्य सर्वेक्षण भी करते हैं, सीमांकन करते हैं, स्तंभ लगाते हैं और जीआईएस, सुदूर संवेदन और जीपीएस जैसे आधुनिक उपकरणों की सहायता से नियमित गश्त भी करते हैं । राज्य अवैध कटाई को रोकने के लिए गश्त भी करते हैं, शिकार-विरोधी शिविरों और चेक पोस्ट संचालित करते हैं, सतर्कता दल तैनात करते हैं और निरीक्षण करते हैं। वे वन संरक्षण को

मजबूत करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन, जागरूकता संबंधी कार्यकलाप और सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा देते हैं।

(ख): भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2023 के अनुसार, देश में वन क्षेत्र में आईएसएफआर-2021 में प्रकाशित आकलन की तुलना में वृद्धि हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वन आवरण में सकारात्मक परिवर्तन वनस्पति की प्राकृतिक वृद्धि, वृक्षारोपण पहलों, वृक्षारोपण और वन क्षेत्रों के बेहतर संरक्षण, वनों के बाहर वृक्षों की वृद्धि और झूम खेती वाले क्षेत्रों में पुनरुत्थान के कारण हुए हैं, जबकि नकारात्मक परिवर्तन अल्पावधि वृक्षारोपण की कटाई, झूम खेती, अतिक्रमण और तूफान, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए हैं।

(ग): वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए उपायों की एक व्यापक श्रृंखला तैयार की गई है। मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन पर परामर्शी (फरवरी 2021) जारी की है और उसके बाद दिनांक 3 जून 2022 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें इस संघर्ष को कम करने और फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम करने के उपाय शामिल हैं। स्थल-स्तरीय कार्रवाई को मजबूत करने के लिए दिनांक 21 मार्च 2023 को प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 के तहत, मुख्य वन्यजीव वार्डन को उन मामलों में नियंत्रित उपाय की अनुमति देने की शक्ति प्रदान की गई है, जहां अनुसूची । या ॥ के वन्यजीव मानव जीवन या संपत्ति के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त, वन्यजीव पर्यावसों की बेहतर सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक का रिजर्वों एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे संघर्ष को स्रोत स्तर पर ही कम किया जा सके।

(घ): मंत्रालय वनों के संवर्धन,संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं नामतः राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना (एफपीएम), नगर वन योजना (एनवीवाई), तटीय पर्यावसों एवं ठोस आय हेतु मैंग्रोव पहल (मिष्टी) और वन्यजीव पर्यावसों के एकीकृत विकास के माध्यम से वनों के संवर्धन, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) गहन जमीनी सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची के माध्यम से एकत्रित क्षेत्रीय स्तर के डेटा द्वारा समर्थित उन्नत सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वन और वृक्ष आवरण में आवधिक परिवर्तनों का आकलन करता है। जीआईएस आधारित मानचित्रण, जीपीएस-सक्षम क्षेत्र डेटा संग्रह, डिजिटल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म और उपग्रह निगरानी सहित ये आधुनिक उपकरण विभिन्न वनरोपण एवं वन संरक्षण योजनाओं के तहत प्रगति का पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध आकलन सुनिश्चित करते हैं।

*****